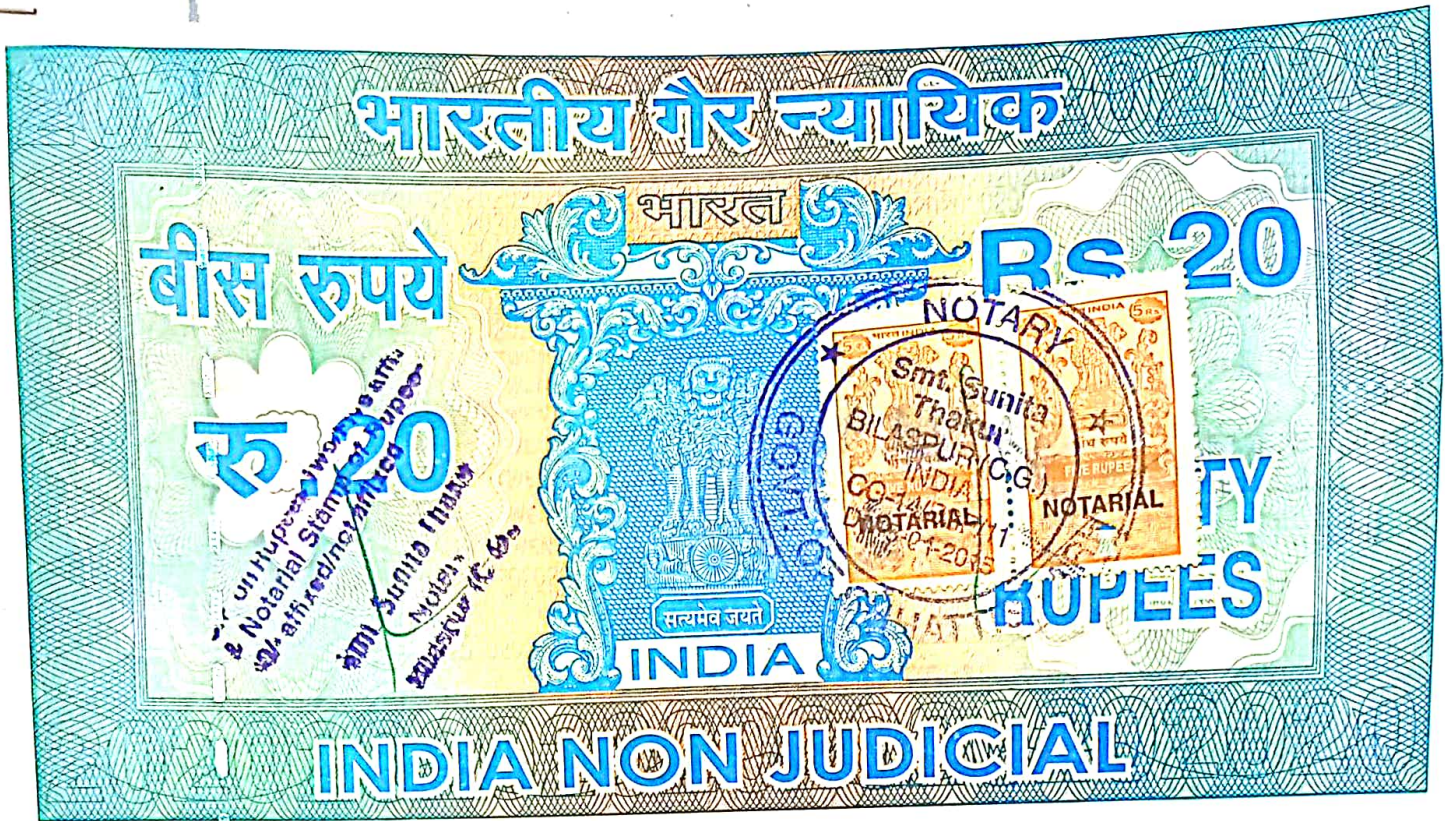




10AA 990287

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

दुकान किरायेदारी का अनुबंध पत्र

पक्षकार क.-1 (दुकान मालिक):- श्रीमती मनीषा जैन उम्र 50 वर्ष पति श्री अरविंद कुमार जैन जाति जैन निवासी साईं भूमि फ्लैट नं. सी 441 तोरवा बिलासपुर तहसील व जिला बिलासपुर (छ.ग.) आधार क्रमांक 7625 2717 3835

पक्षकार क.-2 (किरायेदार):- श्रीमती शहनाज बेगम उम्र 35 वर्ष लिंग महिला केयर ऑफ श्री शेख सलीम जाति मुसलमान निवासी - शिव विहार सिलपहरी रोड, धनेश्वरी निवास के पीछे महमंद बिलासपुर तहसील व जिला बिलासपुर छ.ग.। आधार क्रमांक 4582 5548 8315

कैफियत - यह कि पक्षकार क. 01 के स्वामित्व व आधिपत्य की दुकान स्थित मौजा - बालाजी प्लाजा हेमूनगर तोरवा बिलासपुर तहसील व जिला बिलासपुर (छ.ग.) में भूतल पर स्थित दुकान नं. 130 जिसे पक्षकार कं. 02 के द्वारा व्यवसाय हेतु पक्षकार क्रमांक 02 के द्वारा दिनांक 01.01.2023 से 30.11.2023 तक कुल ग्यारह माह के लिए दुकान को पक्षकार क्रमांक 02 के द्वारा किराये पर निम्न शर्तों के अनुसार लिया जा रहा है।

1. यह कि पक्षकार क्रमांक 01 ने उक्त दुकान का मासिक किराया 7000/- रुपये (सात हजार रुपये) प्रति माह तय किया है।
2. यह कि पक्षकार क्रमांक 02 द्वारा पक्षकार क्रमांक 01 को प्रति माह दिनांक 01 से 05 तारीख के मध्य किराया राशि अनिवार्य रूप से किराया देगा।
3. यह कि किराये पर दी गई दुकान में स्थापित विद्युत बिल का भुगतान पक्षकार क्रमांक 02 किरायेदार स्वयं करेगा। तथा भुगतान की गई पावती पक्ष क्रमांक 01 को प्रतिमाह प्रदान करेगा। विद्युत कनेक्शन/मीटर से की गई किसी भी छेड़छाड़ के प्रति पक्षकार क्रमांक 02 किरायेदार जिम्मेदार होगा।

11 APR 2023

//2//

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20



RS. 20



INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

// 2 //

10AA 990288

4. यह कि पक्षकार क्रमांक 02 के द्वारा बतौर सुरक्षा निधि के रूप में 25,000 /- रुपये (पच्चीस हजार रुपये) पक्षकार क्रमांक 01 को प्रदान किया गया है जिसे किराया अवधि पूर्ण होने पर उक्त राशि को बिना ब्याज के पक्षकार क्रमांक 01 के द्वारा पक्षकार क्रमांक 02 को प्रदान किया जावेगा अथवा किसी भी प्रकार का बकाया राशि होने पर किराया राशि काट कर शेष राशि प्रदान किया जावेगा।
5. यह कि पक्षकार क्रमांक 02 के द्वारा उक्त दुकान में कोई तोड़ फोड़, व अतिरिक्त निर्माण का कार्य नहीं करेगा, एवं अन्य किसी को उप किरायेदार नहीं रखेगा।
6. यह कि पक्षकार क्रमांक 02 उक्त दुकान में केवल व्यवसाय ही करेगा, जैसा ही उन्होंने पक्षकार क्रमांक 01 से कहा है उसके अलावा कोई अन्य व्यवसाय नहीं करेगा।
7. यह कि पक्षकार क्रमांक 01 को उक्त दुकान की आवश्यकता हुई अथवा किसी भी इकरारनामों के शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो वह पक्षकार क्रमांक 02 को एक माह पहले सूचना देकर दुकान खाली करवा सकता है।
8. यदि पक्षकार क्रमांक 02 उक्त दुकान खाली करना चाहता है तो वह दुकान मालिक को (पक्षकार क्रमांक 02) को एक माह पहले सूचना देगा। एवं दुकान का रिक्त कब्जा पक्षकार क्रमांक 01 को सौंप देगा।
9. यह कि अवधि समाप्त होने पर उक्त दुकान का रिक्त कब्जा पक्षकार क्रमांक 01 को सौंप दिया जावेगा। तथा यदि उक्त दुकान को फिर से किराये पर लेना चाहता है तो पुनः 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ नया इक्करनामा निष्पादित किया जावेगा।
10. यह कि पक्षकार क्रमांक 02 के द्वारा जिस स्थिति में अभी दुकान किराये पर लिया गया है, उसी स्थिति में दुकान खाली करते समय पक्षकार क्रमांक 01 को रिक्त कब्जा सौंप देगा।

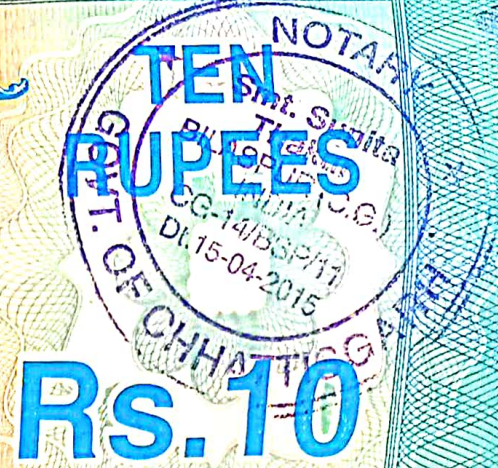
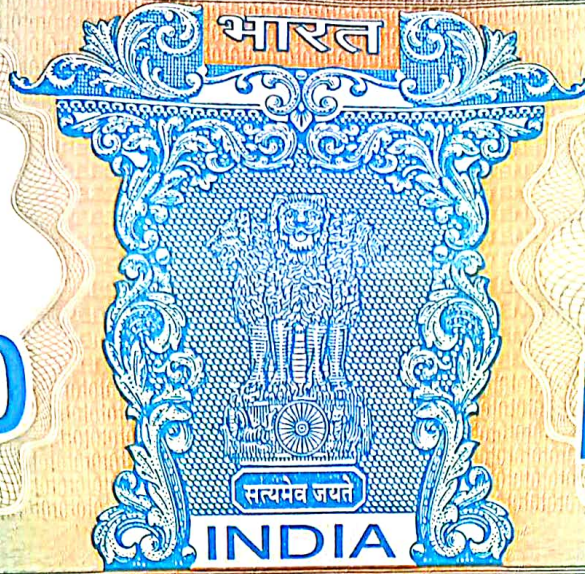


19 APR 2023

// 3 //

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु. 10



TEN
RUPEES
Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

21AA 231970

// 3 //

11. यह कि दोनो पक्षकार के मध्य मधुर संबंध होने पर एवं आपसी सहमति से दुकान पुनः किराये पर दिया व लिया जावेगा। जिसके लिये नया किरायानामा आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकेगा।
12. यह कि उपरोक्त लिखित किरायेदारी के सभी शर्तें दोनो पक्षकार के उपर बंधनकारी होगा तथा शर्तों का उलंघन करने पर यह किरायेदारी समाप्त माना जायेगा।

इसलिये यह किरायानामा पूर्ण होश हवास के साथ बिना किसी जोर एवं दबाव के दो गवाहों के समक्ष निष्पादित कर दिये एवं दोनों पक्षकार पढ़कर, सुनकर, समझकर अपना-अपना हस्ताक्षर कर दिये हैं कि सनद् रहे वक्त जरूरत पर काम आवे और प्रमाण रहे।

दिनांक :- 11.04.2023

गवाह :-

1. Shamir Kumar

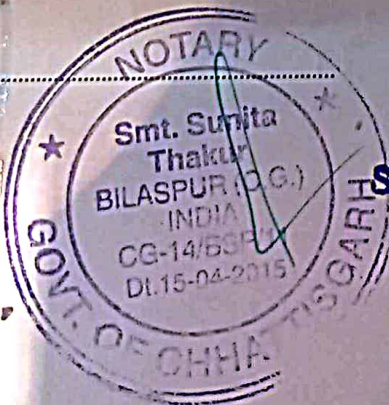
पक्षकार क. 01 हस्ताक्षर दुकान मालिक

गनीषा जैन

2.

पक्षकार क. 02 हस्ताक्षर दुकान किरायेदार

Shamir



Attested
Smt Sunita Thakur
Notary
BILASPUR
C.G. 14/11
Dt-15-4-2015

11 APR 2023